संख्या-36/2018/36 /52-4-2018-पी0-23(एम०एस०डी०पी०)/18

प्रेषक,

दीनानाथ,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-4 लखनऊ, दिनांक 29 जून, 2018

विषय -मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत **जनपद-हापुड़** के वि0ख0-हापुड़ एवं वि0ख0-धौलाना में, **जनपद-बुलन्दशहर** के वि0ख0-बुलन्दशहर में, **जनपद-बागपत** के वि0ख0-छपरौली में, **जनपद-आजमगढ़** के वि0ख0-सठियांव में, **जनपद-बस्ती** के वि0ख0-रामनगर में, **जनपद-गाजियाबाद** के राजापुर में, **जनपद-सम्भल** के वि0ख0-सम्भल एवं वि0ख0-असमौली में पेयजल आपूर्ति योजना हेतु केन्द्रांश की **प्रथम किश्त** एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-6307/अ0स0क0नि0/ एम0एस0डी0पी0/ त्रि0अ0प0-।।/2017-18, दिनांक 27 मार्च, 2018 एवं पत्र संख्या-6337/अ0स0क0नि0/ एम0एस0 डी0पी0/त्रि0अ0प0-।।/2017-18, दिनांक 28 मार्च, 2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-13/427/2017-एम0एस0डी0पी0-एम0ओ0एम0ए0, दिनांक 26.03.2018 द्वारा उक्त पेयजल आपूर्ति योजना हेतु कुल लागत रू० 4126.36 लाख से प्रश्नगत कार्य को करने हेतु **उ०प्र० जल निगम, लखनऊ** को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू० 2063.635 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू० 1031.5915 लाख (रू० दस करोड़ इकतीस लाख उनसठ हजार एक सौ पचास मात्र) एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश रू० 1031.5875 लाख (रू० दस करोड़ इकतीस लाख अट्ठावन हजार सात सौ पचास मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रू० 2063.179 लाख (रू० बीस करोड़ तिरसठ लाख सत्तरह हजार नौ सौ मात्र) योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित बजट रू0 6000.00 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

http://shasanadesh.up.nic.in

(रू0 लाख में)

क्र0	जनपद	योजना	अनुपात	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	कुल लागत	अवमुक्त **प्रथम किश्त**		कुल अवमुक्त धनराशि (के0+रा0)
									केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**हापुड़**	वि0ख0-हापुड़ के घुंघराला में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	232.22	116.11	116.11	232.22	58.055	58.055	116.11
2	**हापुड़**	वि0ख0-धौलाना के शेखपुर खिचरा में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	454.09	227.50	227.04	454.09	113.523	113.52	227.043
3	**बुलन्दशहर**	वि0ख0-बुलन्दशहर के सुतारी में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	187.90	93.95	93.95	187.90	46.975	46.975	93.95
4	**बागपत**	वि0ख0-छपरौली के राठौरा में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	299.91	149.955	149.955	299.91	74.9775	74.9775	149.955
5	**आजमगढ़**	वि0ख0-सठियांव के जमुरी में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	418.59	209.295	209.295	418.59	104.648	104.6475	209.2955
6	**आजमगढ़**	वि0ख0-सठियांव के गजहड़ा में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	499.78	249.89	249.89	499.78	124.945	124.945	249.89
7	**बस्ती**	वि0ख0-रामनगर के कोहड़ी में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	139.79	69.895	69.895	139.79	34.9475	34.9475	69.895
8	**बस्ती**	वि0ख0-रामनगर के तुशायल में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	159.09	79.545	79.545	159.09	39.7725	39.7725	79.545
9	**बस्ती**	वि0ख0-रामनगर के खमरिया पूरब में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	179.79	89.895	89.895	179.79	44.9475	44.9475	89.895
10	**बस्ती**	वि0ख0-रामनगर के पकड़ी में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	143.67	71.835	71.835	143.67	35.9175	35.9175	71.835

http://shasanadesh.up.nic.in

11	**बस्ती**	वि0ख0- रामनगर के भोलापुर में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	148.93	74.465	74.465	148.93	37.2325	37.2325	74.465
12	**गाजियाबाद**	वि0ख0- राजापुर के रसूलपुर सिकरौड़ा में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	378.88	189.44	189.44	378.88	94.72	94.72	189.44
13	**सम्भल**	वि0ख0- सम्भल के सलारपुर कला में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	390.63	195.315	195.315	390.63	97.6575	97.6575	195.315
14	**सम्भल**	वि0ख0- असमौली के शहबाजपुर कला में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	493.09	246.545	246.545	493.09	123.273	123.2725	246.5455
		योग		**14**	**4126.36**	**2063.635**	**2063.175**	**4126.36**	**1031.5915**	**1031.5875**	**2063.179**

1- अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। प्रश्नगत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति यदि आवश्यक हो, प्राप्त करके ही किया जायेगा।

2- परियोजनाओं हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

3- अवमुक्त धनराशि का उपभोग 06 माह में कर लिया जाय। धनराशि का व्यय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा। इससे विचलन की दशा में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा पेयजल आपूर्ति योजना को करने वाली कार्यदायी संस्था/ योजना से सम्बन्धित मूल विभाग के
अधिकारी उत्तरदायी होंगे। व्यय से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत धनराशि इसके पूर्व स्वीकृत नहीं की गयी है।

4- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी। धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा
अनुमोदित कार्यमदों पर- ही किया जायेगा इस सम्बन्ध में सम्पादित त्रिपक्षीय एम०ओ०यू० (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) की शर्तों का अनुपालन किया जायेगा ।

5- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

6- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

7- जिलाधिकारी द्वारा व्यय की गयी धनराशि का हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की दो-02 प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेंगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- इस योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का 01 पृथक लेखा अनुदान ग्राही (Grantee) द्वारा मेन्टेन किया जायेगा।

9- कार्यदायी संस्था द्वारा अनुमोदित सीमा तक सेन्टेज चार्ज लिया जाएगा।

10- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। आहरण एवं वितरण आधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय ।

11- निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर कार्यवाही संस्थाओं को उपलब्ध करायी जाय।कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

12- पेयजल योजना से सम्बन्धित स्थलों पर कार्यदायी संस्था द्वारा एक बोर्ड भी स्थापित किया जायेगा जिस पर योजना की लागत, बजट का स्रोत, योजना के स्वीकृत होने की तिथि, भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि तथा कार्यदायी संस्था का नाम अंकित जायेगा।

13- उपरोक्त कार्य के बारे में प्रथम किश्त की धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाना जिलाधिकारी एवं कार्यदायी संस्था का संयुक्त दायित्व होगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा।

14- प्रश्नगत निर्माण कार्य में भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15- आहरित कर पी०एल०ए० में नहीं रखी जायेगी ।

16- प्रश्नगत धनराशि का उपयोग उसी कार्य/मद में किया जायेगा जिस मद/कार्य के लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है ।

17- शासनादेश दिनांक 26-8-2014, 03 अगस्त 2017 एवं 30 मार्च, 2018 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

18- लेबरसेस की धनराशि नियमानुसार श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।

19- भारत सरकार के पत्र दिनांक 30.03.2017 एवं 31.03.2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक "4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-**0117-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति योजना (के0 50/रा0 50-के०+रा०)-24**-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-170/दस-2018, दिनांक 27.06.2018 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(दीनानाथ)
उप सचिव।

संख्या- (1)/बावन-4-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।

5- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत **जनपद-हापुड़** के वि0ख0-हापुड़ एवं वि0ख0-धौलाना में, **जनपद-बुलन्दशहर** के वि0ख0-बुलन्दशहर में, **जनपद-बागपत** के वि0ख0-छपरौली में, **जनपद-आजमगढ़** के वि0ख0-सठियांव में, **जनपद-बस्ती** के वि0ख0-रामनगर में, **जनपद-गाजियाबाद** के राजापुर में, **जनपद-सम्भल** के वि0ख0-सम्भल एवं वि0ख0-असमौली में पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से भी सम्बन्धित अधिकारी को यथावश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।

6- प्रबन्ध निदेशक, **उ०प्र० जल निगम, लि० लखनऊ** को इस आशय से प्रेषित कि अवमुक्त धनराशि से **जनपद-हापुड़** के वि0ख0-हापुड़ एवं वि0ख0-धौलाना में, **जनपद-बुलन्दशहर** के वि0ख0-बुलन्दशहर में, **जनपद-बागपत** के वि0ख0-छपरौली में, **जनपद-आजमगढ़** के वि0ख0-सठियांव में, **जनपद-बस्ती** के वि0ख0-रामनगर में, **जनपद-गाजियाबाद** के राजापुर में, **जनपद-सम्भल** के वि0ख0-सम्भल एवं वि0ख0-असमौली में पेयजल आपूर्ति योजना को निर्धारित समय में पूर्ण कराने का कष्ट करें।

7- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जनपद-**हापुड़, बुलन्दशहर, बागपत, आजमगढ़, बस्ती, गाजियाबाद एवं सम्भल।**

8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

9- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण, निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

10- वित्त-ई-11 कोएकप्रति तथा वित्त(आय-व्ययक)अनु०-1को तीन स्वच्छ प्रति।

11- अनुभाग अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग-1

12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दीनानाथ)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in